SAFE DRIVE

STAY ALIVE

सर्वभूतहिते रताः

आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ

डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी

नैनीताल

फोन नं0: 05942–239114, 235011, 236149

फैक्स नं0: 05942–239114

ई–मेलः dmcuaoantl@gmail.com

सड़क दुर्घटना

राज्य में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं से हजारों व्यक्ति अपनी जान गवाते हैं। अधिकांश दुर्घटनाऐं नियमों की अनभिज्ञता के कारण होती हैं जिनको कुछ हद तक न्यून किया जा सकता है।

दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- तेज गति से ड्राईव करना।
- अपनी लाइन में नहीं चलना।
- आगे के वाहन से सही दूरी न रखना।
- मोड़ो पर ओवर टेक करना।
- लापरवाही से लाइन काटना।
- सड़क पर अचानक बच्चों, आदमियों, जानवरों का आ जाना।
- ड्राईवर (वाहन चालक) का ध्यान अनयत्र चला जाना।
- ट्रैफिक सिग्नलों का उलघंन करना।
- नशीले पदार्थो का सेवन कर वाहन चलाना।
- लम्बे सफर में एक ही वाहन चालक का होना।
- नींद आने की दशा में।

सड़क सुरक्षा तथा यातायात के नियम :

दो पहिया वाहन चालकों के लिये :–

- हैलमेट का अनिवार्य उपयोग तथा (I.S.I) भारतीय मानकब्यूरो द्वारा प्रमाणित हो।
- साईकिल चलाने वालों को भी मुड़ने से पहले अपनी दोनों ओर देखना आवश्यक है।

पैदल चलने वाले यात्रियों के लिये :–

- पैदल यात्रियों द्वारा सड़क पार करने से पूर्व दायें बायें देखना आवश्यक है।
- पैदल पार पथ (Subway) का उपयोग करें।
- दौड़कर सड़क पार करना खतरनाक है।
- पैदल यात्रियों द्वारा जेबरा क्रासिंग (काले–सफेद धारियों) वाले स्थान से ही पथ पार करना चाहिये।
- रास्ते पर चल रहे वाहन में चड़ने तथा उतरने की चेष्टा न करें।

ओवर टेकिंग के सम्बन्ध में :–

- ओवरटेक करने से पूर्व हॉर्न बजायें जब तक आगे चल रहे वाहन द्वारा संकेत नहीं मिलता तब तक ओवरटेक न करें।
- स्वयं ओवरटेक कर रहे वाहन को ओवरटेक न करें।
- बायी तरफ से ओवरटेक न करें।
- मोड़ो पर ओवरटेक न करें।

पार्किंग निर्देश :

- वाहन को निर्धारित चयनित स्थान पर ही पार्क करें।
- वाहन पार्क करने के उपरान्त हैन्ड ब्रेक अवश्य लगाये तथा गाड़ी को गेर में ही रहने दें।
- कुछ पार्किंग स्थलों में खड़े किये वाहनों को बिना हैंड ब्रैक के न्यूट्रल में ही रखना होता है।
- खराब तथा क्षतिग्रस्त वाहन को बीच सड़क पर न छोड़े उसे सड़क के किनारे से खड़ा करें तथा संकेतक लगा दें। लाईट के अभाव में रात्रि में वाहन में प्रकाश व्यवस्था अवश्य करें।
- ढलान पर वाहन खड़ा करने पर हैंड ब्रेक के साथ–साथ पहियों में पत्थर का ओट अवश्य लगायें।

वाहन चालकों के लिये निर्देश :

- चौराहों पर यातायात संकेतों (सिग्नल) का पालन करें एवं तैनात ट्रेफिक सिपाही द्वारा दिये गये संकेतो का पालन करें।
- चौराहों पर (Stop Light) से पहले रूकना सुनिश्चित करें।
- पुलिस अधिकारियों अथवा परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन अवश्य करें।
- वाहन की जॉच (Servicing) समय–समय पर करवायें।
- आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाये रखें।
- ध्यान रखे निर्धारित वाहन गति से अधिक गति में न चलें (Interceptor) इण्टर सेप्टर वाहन एवं चौराहों पर लगे कैमरों की सहायता से आसानी से पकड़े जासकते है।
- मोडों तथा चौराहों एवं विद्यालयों के सामने से वाहन की गति धीमी रखें।

- बायें, दायें मुड़ने से पूर्व इन्डीकेटर का प्रयोग अवश्य करें।
- चार पहियॉ वाहन में सुरक्षा बैल्ट का उपयोग करें।
- वाहन की निर्धारित क्षमतानुसार ही सवारियाँ बैठायें।
- वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
- वाहनों के फुटबोर्डो पर लटककर यात्रा न करें।
- वाहन में इधर–उधर निकली हुई सामग्री न ले जाय, यदि वाहन में सामग्री बाहर की तरफ निकली हो तो, दिन में वाहन के नीचे लाल कपड़ा तथा रात्रि में लाल लाईट का उपयोग करें।
- रेलवे क्रासिंग पार करते समय दोनों ओर देखें।
- अग्निशमन (Fire Bigrade) एवं रोगी वाहनों (Ambulance) को वरियता दें।
- वाहन को पीछे (Back) करने से पूर्व हार्न दें।
- नशीले पदार्थो का सेवन वाहन चलाते समय एंव उससे पूर्व न करें।
- दुर्घटना की सूचना देना आपका कर्तव्य है दुर्घटना की स्थिति में निकटतम तुरन्त पुलिस स्टेशन को सूचित करें।
- वाहन में विडियो, टी.वी. का प्रयोग चालक कक्ष में नहीं बल्कि अलग हो, जिससे चालक का ध्यान भंग न हो।
- प्रेसर हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- वाहनों (बसों) में यात्रियों को बैठाने व उतारने के लिये निर्धारित स्थानों का ही प्रयोग करें।
- उबड़–खाबड़ सड़को पर वाहन को धीरे चलायें।
- वाहनों पर यात्रियों हेतु किराया सूची लगायें।
- यात्रियों से अभ्रद व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

पहाड़ी मार्गो पर सावधानी बरतें

- मोडों पर सदैव हॉर्न दें।
- मोड़ों पर पास न मांगे, ओवर टेक न करें।
- पर्वतीय मार्गो पर चढ़ाई पर चढ़ रहे वाहन को वरियता दै।
- अधिक गति से वाहन न चलायें।

- रात्रि में पर्वतीय मार्गो पर विशेषकर (मोड़ों) पर डिप्पर का प्रयोग करें।
- खराब दशा में वाहन न चलायें। वाहन चालक द्वारा लगातार एंव 08 घंटे से अधिक वाहन नहीं चलाना चाहिये।
- वाहन में प्राथमिक उपचार बॉक्स (First Aid Box) अवश्य रखें।
- शारिरीक व मानसिक रूप से अस्वस्थ चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिये।
- वाहन चलाते समय वाहन चालक से बात–चीत न करें।
- चप्पल पहन कर वाहन का संचालन न करें।
- वर्षा के दौरान वाईपर का प्रयोग करें।

पानी भराव वाले रास्ते से गुजरने पर ध्यान दें :

- जब वाहन गहरे पानी में हो तो गेर न बदलें, स्पीड को कल्च से नियंत्रित करें और एकस्लेटर दबा के रखें ताकि एकजास्ट पाईप से पानी न घुस सके।
- पानी वाले रास्ते में वाहन को पहले या द्वितीय गेर में रखें।
- पानी पार करने के बाद ब्रैक पैडल को कई बार दबायें ताकि ब्रैक–सू सूख जॉये।

वाहनों पर प्रकाश (Light) हेतु आवश्यक निर्देश :

- वाहन चलाने से पूर्व ध्यान रखें कि वाहन में लाईट, ब्रैक लाईट, कार्य कर रही है या नही।
- रात्रि में डीप्पर का प्रयोग अवश्य करें।
- नगर क्षेत्र में लो बिम लाईट का प्रयोग करें।
- रात्रि में वाहन को खड़ा करने से पहले पार्किंग लाईट का प्रयोग करें।
- वाहनों के आगे–पीछे रिफ्लैकटर लगाया जाना सुनिश्चित करें।
- ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी रिफ्लैकटर लगे होने आवश्यक है।
- वर्षा ऋतु एवं कोहरे में दिन में भी हैड लाईट एवं फोग लाईट जलाना आवश्यक है।
- गाड़ियों में चकाचौंध वाली रंगी बिरंगी लाईटों का प्रयोग न करें।

बच्चों से सम्बन्धी निर्देश :

- बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों व कानूनों का पालन किया जाना सिखाना आवश्यक है।
- 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों द्वारा दो पहियाँ व चार पहियाँ वाहन चलाना कानूनन अपराध है।

- वैध लाईसेंस प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन चलायें।
- Learning License (प्रक्षिशू लाईसेंस) पर वाहन का संचालन न करें, केवल यह लाईसेंस वाहन सिखने हेतु प्रदान किया जाता है।
- वाहन चलाना सिखने की अवधि में आगे–पीछे दोनों तरफ L आकार का लाल चिन्ह लगायें।
- सड़क का उपयोग बच्चे खेल–खेलते हेतु करते है, जो दुर्घटना का कारण बनता है।
- बच्चे पंक्तिबद्ध होकर स्कूल बसों में चढ़े, भगदड़ न मचायें।
- देखें कि आटो रिक्शा, बस इत्यादी जो बच्चों को स्कूल ले जाती है, उसकी क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए।
- विद्यालयी रास्तों पर बच्चों को चढ़ाने तथा उतारने पर परिचालक या सहायक स्वयं सहायता करे, जब तक बच्चा चढ़ न जाय या उतर न जाय, तभी बस चालक को संकेत दें, अब चलें।

सड़क सुरक्षा

क्या न करें

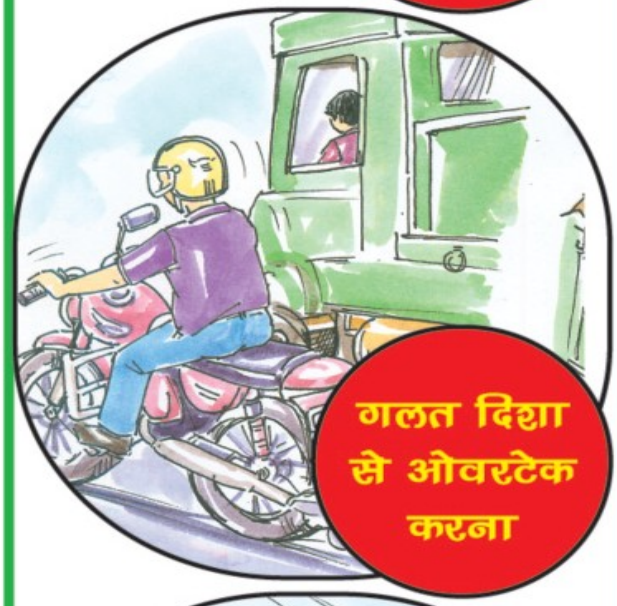

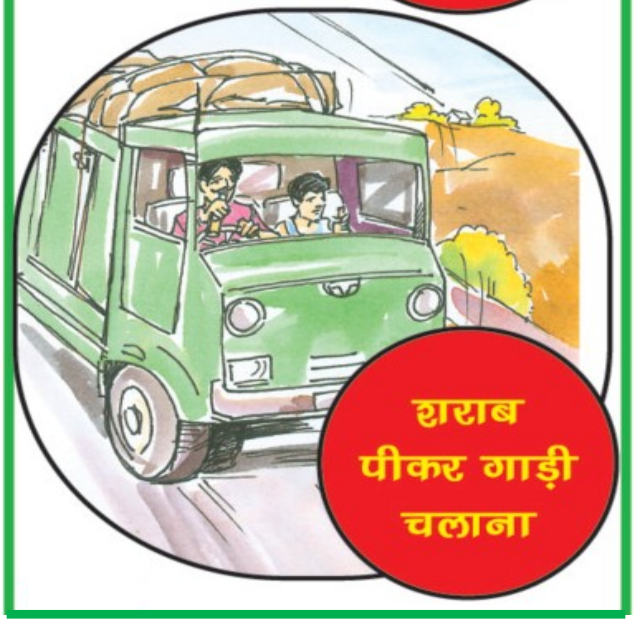

सड़क सुरक्षा

क्या करें